न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
02/2022	10/01/2022	17/12/2025

ओमप्रकाश आयु वर्ष पुत्र प्रहलाद जाति मीना निवासी जलोदा खातियान तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

आवेदक

बनाम

01. जगन्नाथ पुत्र मथुरा जाति बैरवा निवासी कोलाना तह. पीपल्दा
02. चन्द्रभाण पुत्र मथुरा जाति बैरवा निवासी कोलाना तह. पीपल्दा
03. सुमित्राबाई पुत्री मथुरा जाति बैरवा निवासी कोलाना तह. पीपल्दा
04. ग्यारसीबाई पत्नि स्व. मथुरा जाति बैरवा निवासी कोलाना तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

प्रतिपक्षीगण

प्रार्थी की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री कमल कुमार वंसल एड0।
अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री श्याम बैरवा एड0।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा प्रदान किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र

निर्णय

आवेदन ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक एवम् प्रतिपक्षीगण समीपवर्ती खातेदार है। आवेदक ग्राम जलोदा खातियान तह. पीपल्दा उपखण्ड इटावा जिला कोटा (राज.) की कृषि भूमि खसरा संख्या 220 रकबा 4.84 है. के खातेदार कृषक है इसी प्रकार प्रतिपक्षी क्रम 1–4 खसरा सं0 221 रकबा 1.92है, भूमि के खातेदार है। आवेदक एवम् प्रतिपक्षीगण के खाते के उक्त खसरे प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शे मे प्रथक् से दर्शित किए गए है। संलग्न नक्शा प्रार्थना पत्र का ही एक अभिन्न अंग है, जिसे प्रार्थना पत्र के साथ ही पढा व समझा जावें। खसरा संख्या 349 रकबा 4.27है. भूमि के बरसाती पानी तथा सिचाई के अतिरिक्त पानी की निकासी सिचाई विभाग की ड्रेन खसरा संख्या 223 तक खसरा संख्या 221 रकबा 1.92है. भूमि से होकर होती है। आवेदक को अपने खाते के खेत खसरा संख्या 349 रकबा 4.27है. भूमि में बरसाती पानी के निकास तथा सिचाई के अतिरिक्त पानी के निकास हेतु यथा सिचाई के प्रयोजनार्थ प्रतिपक्षीगण के खाते के खसरा संख्या 221 रकबा 1.92 है. भूमि से होकर सिचाई विभाग की ड्रेन खसरा संख्या 223 तक संलग्न नक्शा के अनुसार वर्णित भूमि का जलमार्ग यथा धोरा के रूप में उपयोग उपभोग करने एवम् राजस्व अभिलेख मे 5 फीट चौडा घोरा अंकित करवाने का विधिक अधिकार प्राप्त है। आवेदक को अपने खाते के खसरा संख्या 220 रकबा 4.84है. भूमि के बरसाती पानी के निकास तथा सिचाई के अतिरिक्त पानी के निकास हेतु उक्त जलमार्ग यथा धोरा के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक उपाय उपलब्ध नही है। उक्त के अभाव मे, तथा प्रतिपक्षी द्वारा जल निकासी में बाधा व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास करने से आवेदक के खाते के खसरा संख्या 220 रकबा 4.84है. भूमि की फसल जल प्लावित होने से क्षतिग्रस्त हो जाती है जिसके लिए प्रतिपक्षीगण उत्तरदायी है। आवेदक द्वारा, प्रतिपक्षीगण से उक्त अनुरूप भूमि पर धोरा निर्माण कर जलमार्ग के रूप में उपयोग करने हेतु निवेदन किया जो उन्होने स्पष्ट मना कर दिया कि वे, संलग्न नक्शा के अनुसार आवेदक को खसरा संख्या 221 रकबा 1.92 है. भूमि से होकर बरसाती पानी के निकास तथा सिचाई के अतिरिक्त पानी के निकास हेतु उक्त जलमार्ग यथा धोरा का निर्माण नहीं करने देंगे, जबकि आवेदक, प्रतिपक्षीगण को जलमार्ग यथा धोरा के रूप में प्रयुक्त होने वाली भुमि की क्षतिपूर्ति

हेतु तत्पर है। आवेदक को अपने खाते के खेत खसरा संख्या 220 रकबा 4.84 है. भूमि में बरसाती पानी के निकास तथा सिचाई के अतिरिक्त पानी के निकास हेतु यथा सिचाई के प्रयोजनार्थ प्रतिपक्षीगण के खाते के खसरा संख्या 221 रकबा 1.92 है. भूमि से होकर सिचाई विभाग की ड्रेन खसरा संख्या 223 तक संलग्न नक्शा के अनुसार जलमार्ग यथा धोरा निर्माण करने एवम् राजस्व अभिलेख मे 5 फीट चौडा धोरा अंकित करवाने का विधिक अधिकार प्राप्त है। आवेदक प्रतिपक्षीगण के खाते की भूमि से होकर संलग्न नक्शा के अनुसार वर्णित 5 फीट चौडा धोरा कायम किए जाने पर होने वाली भूमि की क्षति की क्षतिपूर्ति बाबत् विधि विहित D-L-C- Rate से भुगतान करने को तत्पर है। आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित जलमार्ग यथा धोरा निर्माण करवाने हेतु तहसीलदार पीपल्दा के समक्ष निवेदन किया गया किन्तु कोई प्रभावी कार्यवाही नही होने से आवेदकगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का वाद कारण माह. नवम्बर 2021 के प्रथम सप्ताह में प्रतिपक्षीगण द्वारा आवेदक के खाते के खसरा संख्या 220 रकबा 4.84 है. भूमि के सिचाई के अतिरिक्त पानी के निकास मे बाधा पहुँचाने पर उत्पन्न हुआ। आवेदक को अपने खाते के खसरा संख्या 220 रकबा 4.84 है. भूमि के बरसाती पानी के निकास तथा सिचाई के अतिरिक्त पानी के निकास हेतु खसरा संख्या 221 रकबा 1.92 है.. भूमि से होकर सिचाई विभाग की ड्रेन खसरा संख्या 223 तक संलग्न नक्शा के अनुसार 5 फीट चौडा धोरा कायम किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। क्योंकि यदि संलग्न नक्शा के अनुसार 5 फीट चौडा धोरा कायम नही किया गया तो बरसाती पानी के निकास तथा सिचाई के अतिरिक्त पानी के निकास के अभाव मे आवेदक की फसल नष्ट हो जायगी जिससे आवेदक को अपरिमित क्षति कारित होगी जिसका द्रव्य मे मुल्यॉकन सम्भव नहीं होगा। अतः निवेदन किया कि आवेदक के खाते की भूमि खसरा संख्या 220 रकबा 4.84 है. भूमि के बरसाती पानी के निकास तथा सिचाई के अतिरिक्त पानी के निकास हेतु सिचाई विभाग की ड्रेन खसरा संख्या 223 तक 5 फीट चौडा धोरा कायम किया जाकर, जिसका राजस्व अभिलेख, नक्शा लट्ठा मे इन्द्राज किया जाकर, जल मार्ग उपलब्ध कराने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र श्री कमल कुमार बंसल एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 किया जाकर तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी कम 1 ता 3 की ओर से श्याम बैरवा एड0 ने वकालतनामा पेश किया। जवाब सरकार के अनुसार ग्राम जलोदाखातियान के जमाबन्दी संवत 2074–77 के खाता सं0 7 ख0नं0 220 रकबा 4.84 हे0 के खातेदार कृषक है। जिसके लगवा ख0नं0 221 रकबा 1.92है0 भूमि है। ख0नं0 220 रकबा 4.84है0 भूमि में बरसाती पानी के निकास तथा सिंचाई के अतिरिक्त पानी के निकास हेतु (जैसे सिंचाई के प्रयोजनार्थ) प्रतिपक्षीगण के खाते के ख0सं0 221 रकबा 1.92है0 भूमि में से होकर सिंचाई विभाग की ड्रेन ख0सं0 223 तक लगभग 1.5मीटर चौडा तथा 100 मीटर लम्बा एवं लगभग 150 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का धोरा चाहा गया है। चाहा गया धोरे की ख0नं0 220 की पश्चिमी मेड से 40 मीटर की है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के अनुसार "अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाईन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना है। (1) जहाँ (क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है, या (ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुँचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी

विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है। परन्तु हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी ने स्वयं के खाते की भूमि ख0नं0 220 रकबा 4.84हे0 के बरसाती पानी के निकास तथा सिंचाई के अतिरिक्त पानी के निकास हेतु सिंचाई विभाग की ड्रेन ख0सं0 223 तक पांच फीट चौडा धोरा कायम किया जाकर, जिसका राजस्व अभिलेख नक्शा लट्ठा में इन्द्राज किया जाकर जल मार्ग उपलब्ध करवाने आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है। चूंकि राजस्व कानून में खुला धोरा के लिए भूमि देने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए विधि अनुसार पोषणीय नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा